जावक क्र. 4214 दिनांक 7/10

प्रारूप दो

(नियम 6 देखिये)

छत्तीसगढ शासन

सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण –पत्र

क्रमांक 31903

यह प्रमाणित किया जाता है कि 21st सेन्चुरी एजुकेशन सोसायटी

सोसायटी, जो अकलतरा रोड जांजगीर

तहसील जांजगीर जिला जांजगीर-चांपा में स्थित है,

छत्तीसगढ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) के अधीन

तारीख 07/02/2017 को रजिस्ट्रीकृत की गई है।

(संजय चौबे)

सोसायटियों का रजिस्ट्रार

प्रारुप क्रमाँक – 1

समितियों के पंजीयन हेतु ज्ञापन–पत्र

(देखिये नियम – 3)

समिति का नाम 21st सेंचुरी एजुकेशन सोसायटी होगा।

समिति का कार्यालय अकलतरा रोड जांजगीर तहसील जांजगीर ।

जिला जांजगीर – चाम्पा (छ. ग.) में स्थित होगा।

समिति का उद्देश्य निम्नलिखित होंगे –

) शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व उनका संचालन करना।
) क्षेत्र के विद्यार्थियों का शैक्षणिक उत्थान हेतु प्रयास करना।
) खेल एवं सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विकास करना।
) वन एवं पर्यावरण की सुरक्षा करना।
) सांस्कृतिक एवं सामाजिक सेवाऐं।
) स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधी जागरूकता।
) नवयुवकों में राष्ट्रीय भावना का संचार करना।
) हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विदेशी भाषा एवं अन्य भाषा में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना।
) गीत एवं संगीत, आर्ट क्राफ्ट संबंधित शिक्षा प्रदान करना।
) यातायात के नियमों की जानकरी शिक्षा के माध्यम से प्रदान करना।
) शिक्षा के माध्यम से विधिसंगत जानकारी प्रदान करना।
) शिक्षा के माध्यम से बच्चों के समुचित विकास हेतु समय समय पर परामर्श हेतु प्रयास करना।

समिति के प्रबंध विनिमयों द्वारा समिति के कार्यों का प्रबंध 'शासक परिषद्' संचालकों सभा या शासी–निकाय को सौंपा गया है जिनके नाम, पते तथा उपजीविका का उल्लेख निम्नांकित है :–

.	नाम	पिता/पति का नाम	पद	पूरा पता	उपजीविका
	श्रीमति पुष्पा देवी अग्रवाल	श्री मानिक लाल अग्रवाल	संरक्षक	अकलतरा रोड जांजगीर।	गृहिणी
	श्री आलोक अग्रवाल	श्री राम मूर्ति अग्रवाल	अध्यक्ष	अकलतरा रोड जांजगीर।	प्रोफेशन
	श्रीमती अनिता पालीवाल	श्री शंभू पालीवाल	उपाध्यक्ष	गांधी चौक, नैला।	गृहिणी
	श्री गोपाल अग्रवाल	श्री मूलचंद अग्रवाल	सचिव	जैन मंदिर, नैला।	गृहिणी
	श्रीमती बबीता धानुका	श्री विष्णु धानुका	कोषाध्यक्ष	लिंक रोड जांजगीर	गृहिणी
	श्रीमती संध्या अग्रवाल	श्री आशीष अग्रवाल	सदस्य	अकलतरा रोड, जांजगीर।	गृहिणी
	श्रीमती नीतू अग्रवाल	श्री अमित कुमार अग्रवाल	सदस्य	अकलतरा रोड, जांजगीर।	गृहिणी

21st Century Education Society
President/Chairman

21st Century Education Society
President/Chairman

21st Century Education Society
President/Treasu

21st Century Education Society
President/Secretary

ति के इस ज्ञापन पत्र के साथ समिति के विनिमयों की एक प्रमाणित प्रति जैसा की छ.ग. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन् 1973 क्रमाँक 44) की धारा 6 उपधारा (3) के अधीन अपेक्षित है संलग्न है।

हम अनेक व्यक्ति, जिनके नाम और पते नीचे लिखे हैं, समिति का निर्माण उपरोक्त ज्ञापन-पत्र के अनुसार करने के इच्छुक है तथा ज्ञापन पत्र पर निम्नांकित साक्षियों के उपस्थिति में ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।

क्र.	अभिदाताओं के नाम	पिता/पति का नाम	पूरा पता	हस्ताक्षर
1.	श्रीमति पुष्पा देवी अग्रवाल	श्री मानिक लाल अग्रवाल	अकलतरा रोड जांजगीर।	
2.	श्री आलोक अग्रवाल	श्री राम मूर्ति अग्रवाल	अकलतरा रोड जांजगीर।	
3.	श्रीमती अनिता पालीवाल	श्री शंभू पालीवाल	गांधी चौक, नैला।	
4.	श्री गोपाल अग्रवाल	श्री मूलचंद अग्रवाल	जैन मंदिर, नैला।	
5.	श्रीमती बबीता धानुका	श्री विष्णु धानुका	लिंक रोड जांजगीर	
6.	श्रीमती संध्या अग्रवाल	श्री आशीष अग्रवाल	अकलतरा रोड, जांजगीर।	
7.	श्रीमती नीतू अग्रवाल	श्री अमित कुमार अग्रवाल	अकलतरा रोड, जांजगीर।	
8.				
9.				
10				
11				

• जो अनावश्यक हो उसे काट दीजिये।

साक्षी

हस्ताक्षर .....।

नामः- सी.ए. सुरेन्द्र अग्रवाल पिता श्री गणेशराम अग्रवाल।

पूर्ण पताः- श्रीकांत वर्मा मार्ग, बिलासपुर

(छ.ग.)।

समितियों का रजिस्ट्रार

बिलासपुर

21st Century Education Socie

President/Secretary

21st Century Education Society

President/Chairman

21st Century Education Society

21st Century Education Society

President/Chairman

President/Treasurer

नियमावली

समिति का नाम 21st सेंचुरी एजुकेशन सोसायटी होगा।

संस्था का कार्यालय अकलतरा रोड जांजगीर मोहल्ले का नाम बनारी जांजगीर .

तहसील जांजगीर जिला जांजगीर चाम्पा स्थित होगा।

संस्था का कार्यक्षेत्र जांजगीर - चाम्पा छत्तीसगढ़ होगा।

समिति के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे -

(जो ज्ञापन पत्र में अंकित है वही लिखें)

1) शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व उनका संचालन करना।
2) क्षेत्र के विद्यार्थियों का शैक्षणिक उत्थान हेतु प्रयास करना।
3) खेल एवं सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विकास करना।
4) वन एवं पर्यावरण की सुरक्षा करना।
5) सांस्कृतिक एवं सामाजिक सेवाऐं।
6) स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधी जागरूकता।
7) नवयुवकों में राष्ट्रीय भावना का संचार करना।
8) हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विदेशी भाषा एवं अन्य भाषा में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना।
9) गीत एवं संगीत, आर्ट क्राफ्ट संबंधित शिक्षा प्रदान करना।
0) यातायात के नियमों की जानकरी शिक्षा के माध्यम से प्रदान करना।
1) शिक्षा के माध्यम से विधिसंगत जानकारी प्रदान करना।
2) शिक्षा के माध्यम से बच्चों के समुचित विकास हेतु समय समय पर परामर्श हेतु प्रयास करना।

सदस्यता - संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे -

(अ) **संरक्षण सदस्य-** संस्था को दान के रुप में रुपये 51,000/- या अधिक एकमुश्त या एक साल में बारह किश्तों में देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा।

(ब) **आजीवन सदस्य-** जो व्यक्ति संस्था को दान के रूप में रूपये 21,000/- या उससे अधिक देकर वह आजीवन सदस्य बन सकेगा।

(स) **साधारण सदस्य-** जो व्यक्ति रूपये 1200/- प्रति वर्ष अथवा 100/- प्रति माह संस्था को चंदे के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा। केवल उसी अवधि के लिए सदस्य होगा जिसके लिए वह चन्दा दिया है जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों के छः माह तक देय चन्दा नहीं देगा। उसकी सदस्यता समाप्त हो जायगी। ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिए नया आवेदन पत्र देने तथा बकाया चन्दे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है।

(द) **सम्मानीय सदस्य-** संस्था की प्रबंधकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिए जो भी उचित समझे सम्मानीय सदस्य बना सकती है ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भी ले सकता है। परंतु उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा।

संस्था की प्रबंधकारिणी द्वारा स्कूल के संचालन हेतु सलाहकार समिति की स्थापना करेगा। जिसमें जिले के कलेक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक के अलावा स्वास्थ्य विभाग से एक सदस्य, विधि विधायी विभाग से एक सदस्य, समाज सेवा से जुड़ें एक सदस्य व व्यापारी वर्ग से एक सदस्य सम्मानीय सदस्य के रूप में होंगे।

संस्था की प्रबंधकारिणी के द्वारा स्कूल के संचालन हेतु पालक सलाहकार समिति की स्थापना की जायेगी। जो स्कूल की समस्याओं एवं सुझावों हेतु प्रबंध समिति से सम्मानीय सदस्य के रूप में वार्तालाप करेगी।

21st Century Education Society
President/Chairman
अध्यक्ष

21st Century Education Society
सचिव

21st Century Education Society
President/Treasurer
कोषाध्यक्ष

21st Century Education Society
President/Chairman

सदस्यता की प्राप्ति- प्रत्येक व्यक्ति जो की समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा। ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा।

सदस्यों की योग्यता- संस्था का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है -
(1) आयु 18 वर्ष से कम न हो, (2) भारतीय नागरिक हो,
(3) समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो, (4) सद्चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो।

सदस्यता की समाप्ति- संस्था का सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जाएगी-
(1) मृत्यु हो जाने पर। (2) पागल हो जाने पर। (3) संस्था को देय चन्दे की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर। (4) त्याग पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर (5) चरित्र दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिए जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगा।

संस्था कार्यालय में सदस्य पँजी रखी जावेगी जिसमें ब्यौरे दर्ज किये जावेंगे-
(1) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय तथा तिथि सहित हस्ताक्षर।
(2) वह तारीख जिसमें सदस्यों का प्रवेश दिया गया हो व रसीद न.।
(3) वह तारीख जिसमें सदस्यता समाप्त हुई हो।
(4) सदस्यों के हस्ताक्षर।

). **(अ) साधारण सभा-** साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी। परंतु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी जिसका माह मार्च होगा। बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 7 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम **2/3** सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनाँक से **3** माह के अंदर बुलाई जावेगी। उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत् निर्वाचन किया जावेगा, यदि संबंधित आम सभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आम सभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत् चुनाव कराया जावेगा।

(ब) प्रबंधकारिणी सभा- प्रबंधकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेन्डा तथा सूचना बैठक दिनाँक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजा जाना आवश्यक होगी। बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होगी। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घण्टे के लिए स्थगित कर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिए कोरम की कोई शर्त न होगी।

(स) विशेष- यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के **2/3** द्वारा लिखित रूप में बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाए विषय पर विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलायी जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनाँक से 14 दिन के भीतर भेजा जाएगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार रहेगा।

Century Education Society
President/Chairman
अध्यक्ष

21st Century Education Society
President/Secretary
सचिव

21st Century Education Society
President/Treasurer
कोषाध्यक्ष

21st Century Education Society
President/Chairman

साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य –

(क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।
(ख) संस्था की स्थाई निधि व संपत्ति की ठीक व्यवस्था करना।
(ग) आगामी वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना।
(घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो।
(ङ) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय-व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना।
(च) बजट का अनुमोदन करना।

प्रबंधकारिणी का गठन- ट्रस्टीज यदि कोई हो समिति के पदेन सदस्य रहेंगे, नियम 5 (अ,ब,स) में दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजीयन रजिस्टर में दर्ज हो, बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा।

(1) अध्यक्ष, (2) उपाध्यक्ष, (3) सचिव, (4) कोषाध्यक्ष,
(5) संयुक्त सचिव व सदस्य - 3 (6) शासकीय सदस्य - 2

प्रबंध समिति का कार्यालय- प्रबंध समिति का कार्यालय एक वर्ष का होगा। जिसकी कार्यकाल अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक प्रत्येक वर्ष रहेगी। समिति का यथेष्ट कारण होने पर उस समय तक की नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी। जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।

प्रबंधकारिणी के अधिकार व कर्तव्य-

(अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति कराना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।
(ब) पिछले वर्ष का आय-व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रति वर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना होगा।
(स) अन्य आवश्यक कार्य कराना, जो साधारण सभा द्वारा समय-समय पर सौंपे जाए।
(द) संस्था की समस्त चल-अचल संपत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी।
(ई) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर संपत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्य अर्जित या आन्तरित नहीं कर सकते।

अध्यक्ष के अधिकार- अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की संख्या की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवाया जायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा।

उपाध्यक्ष के अधिकार- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।

ury Education Society
President/Chairman
अध्यक्ष

21st Century Education Society
President/Secretary
सचिव

21st Century Education Society
कोषाध्यक्ष

21st Century Education Society
President/Chairman

7. **सचिव के अधिकार–**
   (1) साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय–समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना।
   (2) समिति का आय व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना।
   (3) समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना। उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना।

8. **स. सचिव के अधिकार–** सचिव की अनुपस्थिति में स.सचिव कार्य करेंगे।

9. **कोषाध्यक्ष के अधिकार–** समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना, प्रत्येक बिल, रसीद व रजिस्टर को नियमपूर्वक रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत करना एवं सचिव व अध्यक्ष से आपसी सामंजस्य बनाये रखना। कोषाध्यक्ष को किसी कार्य के लिए एक समय में रूपये 5000/– व्यय करने का अधिकार होगा।

10. **बैंक खाता–** संस्था का समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट ऑफिस में रहेगी। धन का आहरण अध्यक्ष या सचिव व कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रूपये 1,000/– रहेंगे। रूपये 25,000/– तक का हस्तांतरण या भुगतान अध्यक्ष, सचिव या कोषाध्यक्ष के व्यक्तिगत हस्ताक्षर से किया जायेगा, परंतु रूपये 25,000/– से अधिक के भुगतान हेतु संयुक्त हस्ताक्षर का होना अनिवार्य होगा।

11. **पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी–** अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आम सभा होने के दिनाँक से 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची शुल्क सहित फाइल की जावेगी। धारा 28 के अन्तर्गत प्रतिवर्ष 31 जुलाई तक संस्था की परीक्षित लेखा शुल्क सहित भेजेगी। जिसके साथ नियत शुल्क देय होगा।

12. **संशोधन–** संस्था के विधान में साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा। यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाओं को होगा। जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा। संस्था के विधान में संशोधन के प्रस्ताव नियत शुल्क के साथ प्रस्तुत की जायेगी जिसके साथ नियत शुल्क देय होगा।

13. **विघटन–** संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/5 मत से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात् संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जायेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

14. **सम्पत्ति–** संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल सम्पत्ति रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थओं की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा दान या अन्य प्रकार से अर्जित या अन्तरित नहीं की जा सकेगी एवं उक्त हेतु नियत शुल्क संस्था द्वारा जमा की जायेगी। जिसके साथ नियत शुल्क देय होगा।

15. **बैंक खाता–** संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट ऑफिस में डाला जावेगा एवं समय–समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी।

16. **पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना–** संस्था के पंजीकृत नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक फर्म्स एवं संस्था की बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही साथ बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा।

21st Century Education Society
President/Chairman
अध्यक्ष

21st Century Education Society
President/S...
सचिव

21st Century Education Soc...
कोषाध्यक्ष

7. विवाद- संस्था में किसी प्रकार का विवाद होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा के अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षों में संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार को विवाद के निर्णय के लिये भेज सकेंगे। रजिस्ट्रार का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा। संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंधन समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अन्तिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

8. अर्थदण्ड निष्कासन-

(क) जो सदस्य वार्षिक चंदे की रकम उस वर्ष में नियमानुसार जमा नहीं करेगा तो उसको वर्ष समाप्ति के तीन माह के अंदर चन्दे अदा करने पर 30 प्रतिशत अधिक रकम के साथ अदा करनी पड़ेगी।

(ख) जो सदस्य मासिक चन्दे की रकम को निश्चित अवधि में अदा नहीं करेगा तो उसको तीन माह के अंदर 25 प्रतिशत अधिक रकम के साथ अदा करना होगा।

(ग) वार्षिक या मासिक चन्दा देने वाला कोई व्यक्ति यदि छः माह तक निश्चित अवधि के बाद लगातार चन्दा नहीं दे तो ऐसे व्यक्ति को कार्यकारिणी द्वारा सदस्यता से निष्कासित किया जा सकता है।

(घ) सदस्य द्वारा निश्चित अवधि के पश्चात् लगातार छः माह तक चन्दा नहीं देने पर ऐसे सदस्य को प्रबंधकारिणी द्वारा एक नोटिस दिया जाएगा। उक्त नोटिस के जवाब आने पर प्रबंधकारिणी उस पर विचार करके उक्त सदस्य का नाम काटने की निर्णय करेगी। यदि नोटिस का कोई जवाब प्राप्त नहीं हो तो सदस्यता समाप्त की जा सकती है।

(इ) प्रबंधकारिणी के समुचित प्रमाण मिलने पर जांच करने पर यह संतोष हो जाए की कोई सदस्य समिति के उद्देश्यों के विपरित कार्य कर रहा है या नियमों का पालन नहीं कर रहा है या समिति के सम्पत्ति को हानि पहुंचा रहा हो या अन्य प्रकार के ऐसे कार्य कर रहा है जो समिति को किसी प्रकार से भी हानिकारक हो, तो ऐसे स्थिति में सदस्य को सदस्यता समाप्त करने के संबन्ध में प्रस्ताव साधारण सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों की तीव पंचमांश के बहुमत से स्वीकृत होना आवश्यक होगा।

21st Century Education Society
President/Chairman
अध्यक्ष

21st Century Education Society
President/Secretary
सचिव

21st Century Education Society
President/Treasurer
कोषाध्यक्ष

21st Century Education Society
President/Chairman